भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4618
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

विद्यालय बोर्डों का विलय

†4618. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड के साथ विलय करने का है ताकि देश में परीक्षा प्रक्रिया को सरल और एक बोर्ड वाली बनाया जा सके;
(ख) यदि हां, तो सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) दोनों बोर्डों के बीच मूल अंतर क्या है और तत्संबंधी बोर्डों
की विलय योजना यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विचार सीबीएसई और आईसीएसई के लिए सिंगल ट्यूशन फीस करने का है और इनकी प्रवेश प्रक्रिया शुल्क कितना है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा।

(ख) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आईसीएसई) स्कूलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा आयोजनकर्ता निकाय है। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का अनुपालन करता है। जबकि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आईसीएसई) पूर्णतया एक प्राइवेट बोर्ड है जो अपनी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों आदि का निर्धारण करता है।
(घ) : जी, नहीं।

*****

संलग्नक

''विद्यालय बोर्डों का विलय'' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री शिशिर कुमार अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4618 के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीबीएसई सम्बद्ध स्कूलों की संख्या जैसे सीबीएसई द्वारा सूचित किया गया है।	सीआईएससीई सम्बद्ध स्कूलों की संख्या जैसे सीआईएससीई द्वारा सूचित किया गया है।
1.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	122	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	318	15
3.	आंध्र प्रदेश	323	54
4.	असम	281	6
5.	बिहार	943	37
6.	छत्तीसगढ	616	19
7.	चंडीगढ़	165	4
8.	दादरा और नागर हवेली	12	-
9.	दमन और दीव	7	-
10.	दिल्ली	2147	3
11.	गोवा	16	4
12.	गुजरात	512	36
13.	हरियाणा	1755	24
14.	हिमाचल प्रदेश	292	25
15.	जम्मू और कश्मीर	145	2
16.	झारखंड	456	115
17.	कर्नाटक	1035	383
18.	केरल	1357	164
19.	लक्षद्वीप	8	-
20.	मध्य प्रदेश	1296	44
21.	महाराष्ट्र	1038	245
22.	मेघालय	26	7
23.	मणिपुर	73	1
24.	मिजोरम	16	-
25.	नागालैंड	40	1
26.	ओडिशा	**498**	**94**
27.	पुडुचेरी	32	2
28.	पंजाब	1394	157
29.	राजस्थान	1181	16
30.	सिक्किम	232	9
31.	तमिलनाडु	1100	106
32.	तेलंगाना	340	41
33.	त्रिपुरा	61	3
34.	उत्तर प्रदेश	3567	400
35.	उत्तराखंड	628	109
36.	पश्चिम बंगाल	351	408
37.	लद्दाख	15	-
38.	कुल	22398	2535